

परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 4 मई 2015 पर आधारित है।



परियोजना डेटा शीट

परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम के विषय में संक्षिप्त सूचना होती है। चूंकि पीडीएस एक प्रगति अधीन कार्य होता है, कुछ सूचनाएं इसके प्रारंभिक संस्करण में शामिल नहीं हो सकती हैं, परंतु इनके उपलब्ध होने पर शामिल कर ली जाएंगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में सूचना अनन्तिम और संकेतात्मक है।

पीडीएस सृजन तिथि	–
पीडीएस अद्यतनीकरण की तिथि	14 अप्रैल 15
परियोजना का नाम	आईएनडी : ग्रामीण वित्तीय समावेशन तथा किसानों की मंडी पहुंच का संदृढीकरण : एक्सिस बैंक तथा यस बैंक
ऋणी/इक्विटी निवेश नाम	–
देश	भारत
परियोजना/कार्यक्रम संख्या	48278-001
स्थिति	अनुमोदित
भौगोलिक अवस्थिति	–
इस प्रलेख में किसी कंट्री कार्यक्रम या रणनीति तैयार करने, किसी परियोजना के वित्तपोषण, अथवा किसी विशेष भूभाग अथवा भौगोलिक क्षेत्र को कोई पदनाम देने, अथवा संदर्भित करने में एशियाई विकास बैंक का आशय किसी भूभाग अथवा क्षेत्र की स्थिति के बारे में कानूनी या अन्य प्रकार से राय प्रकट करना नहीं है।	
क्षेत्र	वित्त
उपक्षेत्र	वित्तीय क्षेत्र का विकास समावेशी वित्त
रणनीतिक कार्यसूची	समावेशी आर्थिक विकास (आईईजी)
परिवर्तन के प्रेरक	लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण (जीईएम) शासन और क्षमता विकास (जीसीडी) ज्ञान समाधान (केएनएस) भागीदारियां (पीएआर) निजी क्षेत्र विकास (पीएसडी)
लिंग मुख्यधारा में जोड़ने वाले संवर्ग	संवर्ग 2 : कारगर लैंगिक मुख्यधारीकरण (ईजीएम)
परियोजना प्रायोजक	एक्सिस बैंक लिमिटेड

■ वित्तपोषण

सहायता का प्रकार/रूपात्मकता	अनुमोदन संख्या	वित्तपोषण का स्रोत	अनुमोदित राशि (हजार)
निजी क्षेत्र	7428/3195	लाइबोर आधारित ऋण	यूएस\$ 200,000
योग			-

■ पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश

पर्यावरण-पहलू

-

अस्वैच्छिक पुनर्वास

-

स्वदेशी लोग

-

■ स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान

-

परियोजना कार्यान्वयन के दौरान

-

■ विवरण

इस सहायता में एक्सिस बैंक लिमिटेड (एबीएल) तथा यस बैंक लिमिटेड (वाईबीएल) को 200 मिलियन डॉलर प्रत्येक के दो बड़े अप्रत्याभूत ऋण और एबीएल और वाईबीएल दोनों को 2 मिलियन डॉलर तक का क्षमता विकास तकनीकी सहायता अनुदान शामिल है। दोनों बैंक एडीबी के कुलयोग ऋण संवितरणों के बराबर राशि भारतीय रुपए में निम्नलिखित ग्राह्य ऋण इच्छुकों को कार्यशील पूंजी तथा निवेश ऋणों के वित्तपोषण हेतु प्रदान करेंगे (i) छोटे किसान परिवार, तथा (ii) ग्रामीण महिलाएं, जो बचत और क्रेडिट स्व-सहायता समूहों (एसएचजी'ज) में संगठित हैं। बैंकों द्वारा तकनीकी सहायता का उपयोग (i) उनके व्यवसाय संवाददाताओं के निरीक्षण तथा मॉनीटरन का संवर्धन, उनके आंतरिक नियंत्रणों सहित ; (ii) व्यवसाय संवाददाता-संबद्ध महिला एसएचजी'ज की वित्तीय साक्षरता में सुधार ; तथा (iii) छोटे किसानों के लिए विशिष्ट प्रादेशिक फसलों हेतु लक्ष्यकृत मंडियों तथा ऋण उत्पादों के साथ छोटे किसानों को जोड़ते हुए वित्तीय सेवा उत्पादों का विकास जारी रखने के लिए किया जाएगा।

■ उद्देश्य और संभावनाएं

एडीबी की सहायता निम्नलिखित उद्देश्यों की दिशा में योगदान देगी : (i) प्राथमिकता वाले सेक्टरों और समावेशी कृषि विकास के लिए मापनीय ऋण मॉडलों की सहायता। भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि हेतु प्रदान किए जा रहे ऋणों का वर्तमान स्तर अपर्याप्त है तथा ग्रामीण जनसंख्या की वित्त हेतु सीमित पहुंच उनकी पैदावार तथा आय के सुधार हेतु महत्वपूर्ण निवेशों की योग्यता को बाधित करती है। निधियों के चैनलीकरण और एबीएल तथा वाईबीएल को छोटे किसानों और ग्रामीण महिलाओं को उधार देने के लिए उपलब्ध कराए गए टीए द्वारा, एडीबी की सहायता न केवल प्राथमिकता वाले सेक्टर ऋण लक्ष्यों की पूर्ति हेतु दोनों बैंकों के प्रयासों में सराहनीय योगदान देगी अपितु बाजार को एक संकेत भी देगी और अधिक संख्या में स्थानीय बैंकों को ग्रामीण गरीबी उपशमन में सहायता के लिए इस महत्वपूर्ण सेक्टर के विकास की सहायता के लिए वित्तपोषण हेतु उत्प्रेरित करेगी। (ii) बैंकों को दीर्घावधि निधीयन हेतु पहुंच उपलब्ध कराने द्वारा बैंकिंग सेक्टर का सुदृढीकरण। एडीबी के ऋण एबीएल तथा वाईबीएल के ग्रामीण वित्तीय समावेशन की सहायतार्थ निधीयन में महती योगदान देंगे। (iii) तकनीकी सहायता। एडीबी की टीए, छोटे किसानों को मंडियों से जोड़ने के लिए नए आविष्कारी दृष्टिकोणों के उपयोग द्वारा व्यवसाय संवाददाताओं तथा लक्ष्यकृत ऋण उत्पादों के माध्यम से दोनों बैंकों की समावेशी व्यवसाय रणनीतियों के निर्माण सहायता करते हुए एडीबी की क्रेडिट लाइन्स की प्रत्यक्ष अनुपूर्ति करेगी। एडीबी की टीए से किसान स्तर पर क्रेडिट डेटा की सत्यता के सुधार और दोनों बैंकों में क्रेडिट आकलन तथा जोखिम प्रबंधन बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो किसानों के लिए क्रेडिट हेतु पहुंच में सुधार के रूप में लाभप्रद होगी। एडीबी की सहायता से, बैंक के व्यवसाय मॉडल मापनीय बन सकते हैं तथा एसएचजी'ज के माध्यम से किसानों तथा महिला ऋणप्राप्तकर्ताओं के निधीयन हेतु समावेशी एवं वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य दृष्टिकोण की सहायतार्थ नेतृत्व पहल कर सकते हैं। (iv) कारगर लैंगिक मुख्यधारीकरण। इस सहायता में वाईबीएल की एक अतिरिक्त 2.5 मिलियन ग्रामीण, न्यून आय महिलाओं तक पहुंचने की क्षमता में सुधार हेतु व्यापक दृष्टिकोण शामिल है। इसमें वित्तीय योजना, बचत और अपनी खेती तथा गृहस्थी की जरूरतों के लिए ऋण प्राप्त करने के बारे में जागरूकता शामिल है जैसाकि लैंगिक कार्य योजना में परिलक्षित है।

■ परियोजना तर्काधार और कंट्री/क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबंध

एडीबी की रणनीति 2020 के तहत इसका उद्देश्य समावेशी विकास को प्रोत्साहन द्वारा वित्तीय सेक्टर को मजबूत बनाना है। समावेशी वित्त को ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस द्वारा सहायता प्राप्त होगी, जहां उत्पादकता कम है और आय जनन की संभावना ऊंची है। यह सहायता भारत के लिए एडीबी की देश भागीदारी रणनीति 2013-2017 के साथ भी सुसंगत है, जिसमें समावेशी वित्तीय प्रणालियों द्वारा समावेशी विकास का महत्व उच्चांकित किया गया है। एडीबी द्वारा दोनों बैंकों को अपनी सेवाएं छोटे किसानों, न्यून-आय महिलाओं तक विस्तारित करने हेतु सहायता प्रदान की जाएगी, जो एमओआर रिपोर्ट में सुस्पष्ट किए गए सरकारी प्रयासों की भी संगति में है। एडीबी की गैर-स्वायत्त सहायता पूंजी बाजार तथा ग्रामीण क्रेडिट सहकारी संरचना के साथ-साथ कृषि व्यवसाय अवसंरचना विकास में पहले किए जा चुके तथा चालू स्वायत्त प्रयासों की भी अनुपूरक होगी।

■ विकास प्रभाव

-

■ आउटपुट्स और कार्यान्वयन प्रगति

परियोजना आउटपुट्स का वर्णन	कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां और मुद्दे)
-	-
विकास परियोजनाओं की स्थिति	कार्य/निर्माण की स्थिति
-	-
महत्वपूर्ण परिवर्तन	
-	

■ व्यवसाय के अवसर

प्रथम सूचीयन की तिथि	-
परामर्शी सेवाएं	-
प्रापण और परामर्शी सूचनाएं	

■ समयतालिका

अवधारणा मंजूरी	21 जुलाई 14
सम्यक् सतर्कता मिशन	-
निवेश समिति बैठक	-
अनुमोदन	18 नवम्बर 14

■ मीलपत्थर

अनुमोदन संख्या	अनुमोदन	हस्ताक्षर	प्रभावोत्पादकता	अनुमोदन समापन		
				मूल	संशोधित	वास्तविक
-	-	-	-	-	-	-

■ सम्पर्क और अद्यतन विवरण

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	()
जिम्मेदार एडीबी विभाग	निजी क्षेत्र परिचालन विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	निजी क्षेत्र वित्तीय संस्था प्रभाग

■ सम्पर्क

परियोजना वेबसाइट	http://www.adb.org/projects/48278-001/main
परियोजना प्रलेखों की सूची	http://www.adb.org/projects/48278-001/documents
